उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०
शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ

सं० 3637-औस-17/पाकालि/2003-11(4)(र.एस.)86टी.सी. दिनांक 21 जुलाई 03

समस्त मुख्य महाप्रबन्धक/मुख्य अभियन्ता(ज.वि.) उ०प्र०पावर कारपोरेशन लि०
समस्त महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबन्धक, उ०प्र०पावर कारपोरेशन लि०
अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग/जांच समिति I व II, उ०प्र०पावर कारपोरेशन लि०

विषय: बाह्य रोगी के रूप में करायी गयी चिकित्सा के सम्बन्ध में राज्य चिकित्सा परिषद से प्राप्त संस्तुति के उपरान्त अनुवर्ती अवसर/अवसरों पर संस्तुति प्राप्त करने हेतु निर्धारित एक वर्ष की अवधि के बाद [illegible] दो माह की अतिरिक्त छूट प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में पूर्ववर्ती परिषद/कारपोरेशन के वर्तमान प्रभावी नियमानुसार राज्य चिकित्सा परिषद की संस्तुति प्राप्त होने की तिथि से एक वर्ष तक दवाओं पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति अनुमन्य किये जाने की व्यवस्था है। उक्त एक वर्ष के बाद चिकित्सा कराये जाने की स्थिति में अनुवर्ती अवसर/अवसरों पर उक्त राज्य चिकित्सा परिषद की प्रथम संस्तुति के एक वर्ष पूर्ण होने पर उसकी तारतम्यता में रोगी द्वारा सक्षम राज्य चिकित्सा परिषद के समक्ष उपस्थित होकर पुनः संस्तुति प्राप्त करना अनिवार्य है। इस सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त कारपोरेशन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि राज्य चिकित्सा परिषद की संस्तुति के निर्धारित एक वर्ष पूर्ण होने पर राज्य चिकित्सा परिषद की अनुवर्ती अवसर पर संस्तुति प्राप्त करने हेतु अधिकाधिक दो माह की अतिरिक्त छूट प्रदान की जा सकती है। अतः एतदद्वारा कारपोरेशन के आदेश सं० 3663-औस-17/पाकालि/2002 दिनांक 4.10.2002 के अनुक्रम में राज्य चिकित्सा परिषद की दो संस्तुतियों के मध्य अधिक से अधिक एक वर्ष की सम्प्रति प्रभावी सीमा के अतिरिक्त मात्र दो माह के विलम्ब की छूट प्रदान किये जाने की व्यवस्था की जाती है। यह व्यवस्था आदेश निर्गमन की तिथि से प्रभावी होगी।

निदेशक(का.प्र. एवं प्रशासन)

सं० 3637-1-औस-17/पाकालि/2003 तद्दिनांक 21.7.2003

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मा० ऊर्जा मंत्री उ०प्र०शासन के निजी सचिव
2. प्रमुख सचिव(ऊर्जा) उ०प्र०शासन, लखनऊ
3. समस्त वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/कार्मिक अधिकारी, उ०प्र०पा०का०लि०
4. अनुसचिव(का.वि.ना.) उ०प्र०पावर कारपोरेशन लि०
5. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, शक्ति भवन, लखनऊ
6. समस्त अनुभाग अधिकारी/निजी सचिव, प्रशासनिक एवं लेखा स्कन्ध, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

([illegible] प्रकाश मिश्र)
कार्मिक अधिकारी